पत्रिका 8
भोपाल . बुधवार 25 अगस्त, 2010

प्रदेश का मॉड्यूल देश भर में लागू

नगरीय निकाय का है ट्रेनिंग माड्यूल

ब्यूरो @ भोपाल

नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि के लिए मध्यप्रदेश राज्य का प्रशिक्षण माड्यूल सभी राज्यों में लागू किया गया है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के ट्रेनिंग माड्यूल के अनुसार नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के निर्देश सभी राज्यों को दिए हैं।

प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि म.प्र. शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2006 में म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को प्रदेश में यू.आई.डी.एस.एस.टी. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नोडल संस्था बनाया गया था। इसके तहत संस्था द्वारा केपेसिटी बिल्डिंग निधि के अंतर्गत नगरीय निकायों के तकनीकी और गैर तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। गत वर्षों में आयोजित प्रशिक्षणों के अनुभवों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल बनाया गया। इस माड्यूल को प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया था। भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल को स्वीकार किया गया और सभी राज्यों को माड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा क्षमता निर्माण निधि से की जाएगी। प्रशिक्षण से नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों को अर्बन वॉटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, रोड कंस्ट्रक्शन और ड्रेनेज सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण के साथ ही साथ अकाउंटिंग रिफार्म, ई-गवर्नेंस, जी.आई.एस. आदि अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विशिष्ट जानकारी भी मिलेगी।